इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर 2015—कार्तिक 26, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. सी-3-8-2015-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(1) किन्हीं सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भरती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. सी-3-8-2015-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

Bhopal, the 17th November 2015

No. C 3-8-2015-ONE-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in any Service rules, there shall be reserved thirty three percent of all posts in the service under the State (except Forest Department) in favour of women at the stage of direct recruitment and the said reservation shall be horizontal and compartment-wise."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

C. B. PADWAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.